

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला-रायगढ़ (छ0ग0)

E-mail:-wcdraigarh-cg.gov.in

“ वॉक इन इन्टरव्यू हेतु विज्ञापन ”

“सखी” वन स्टॉप सेंटर रायगढ़ में रिक्त व्यक्तिगत सेवा प्रदाता केस वर्कर के रूप में कार्य करने हेतु पात्र आवेदकों के लिए सूचना

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना “मिशन शक्ति” की शुरुआत की है। मिशन शक्ति अम्ब्रेला योजनान्तर्गत दो उपयोजना संबल एवं समर्थ शामिल है। संबल उपयोजना अंतर्गत जिला रायगढ़ (छ.ग.) में संचालित “सखी” वन स्टॉप सेंटर में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाही के लिए रिक्त 01 पद केस वर्कर (केवल महिलाओं के लिए) की पूर्ति हेतु दिनांक 06 अगस्त 2026 को वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से चयन की कार्यवाही की जायेगी। इच्छुक महिला आवेदक निर्धारित दिनांक को प्रातः 09:00 बजे से 12:00 बजे तक रायगढ़ जिले के कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास रायगढ़ पर अपना पंजीयन कराते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

विज्ञापित पद निम्नानुसार है:-

क्र	सेवा प्रदाता का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या				वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन
		अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.जा.		
1	केस वर्कर	01	0	0	0	6	18420

1. सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाताओं हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव तथा कार्यदायित्व -

S. No	Position	Number Of Staff	Qualification	Roles & Responsibilities
1	Case Worker	01	- Any Woman having a Bachelor in Law/Social Work /Sociology/ Social science/Psychology with at least 3 years” experience of working on related relevant domain in a Government or Non-Government project/ programme. - She should be resident of the local community so that local uman resource and expretise in utilised for effective functioning of the center.	- Case worker will work in shift to provide 24 hour service at OSC. - She will provide assistance and support to the Center Administrator in facilitating services to women accessing OSC. - She will intervene in cases of V A W and will take them to their logical conclusion. - She will be responsible for other work as assigned by the Center Administrator.

आयु सीमा-

- 2.1 उपरोक्त पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 2.2 आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8 वीं, 10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- 2.3 पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
- 2.4 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2.5 योजना संचालन के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर में व्यक्तिगत सेवाप्रदाता के रूप में केवल महिलाएं की सेवायें प्राप्त की जाएगी।
- 2.6 चयनित अभ्यर्थी को चयन किए जाने के पश्चात 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।
- 2.7 सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति की कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तदसंबंधी प्रमाण-पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 2.8 सखी वन स्टॉप सेंटर में कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीड़ितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा प्रदाता में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीड़ितों/प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- 2.9 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2.10 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- 2.11 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकूसची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।
- 2.12 वॉक-इन-इन्टरव्यू की निर्धारित तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की सत्यापन हेतु मूल प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ लाना अनिवार्य है।
- 2.13 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वयं द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।

- 2.14 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 2.15 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- 2.16 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- 2.17 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें।
- 2.18 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र जमा करें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- 2.19 उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जायेगी। **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।**
- 2.20 निर्धारित तिथि में ही आवेदन प्राप्त कर पंजीयन, दावा आपत्ति हेतु वरीयता सूची का प्रकाशन, दावा आपत्ति निराकरण एवं अंतिम सूची, कौशल परीक्षा, चयन सूची इत्यादि जारी की जायेगी।
- 2.21 दावा आपत्ति के समय कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं किया जायेगी।
- 2.22 निर्धारित तिथि के पूर्व आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 2.23 कौशल परीक्षा/वॉक इन इन्टरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- 2.24 योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ शिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगा तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
- 2.25 इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।
- 2.26 इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
- 2.27 उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किये जाने पर इन्हे वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।

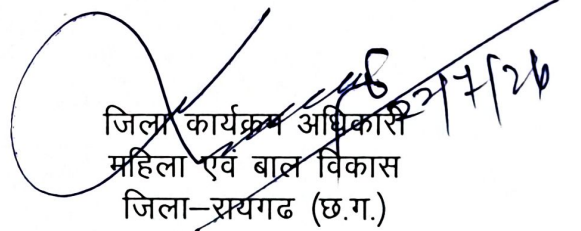
03. आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे—

- 3.1 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
- 3.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।
- 3.3 राज्य के महिला हेल्प लाईन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्यानुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रतिवर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

- 3.4 वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक इन इन्टरव्यू के दौरान इस आधार पर ही मापदण्ड रखा जायेगा। तदनुसार वरियता सूची तैयार की जायेगी।
- 3.5 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरियता दी जावेगी।
- 3.6 सखी वन स्टॉप सेंटर में अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गई हैं यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो इन सेवा प्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनका अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावेगा।

04. नियुक्ति की अवधि:-

- 4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति किया जाएगा तथा तदपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- 4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं द्वारा
अभिप्रमाणित
फोटो चस्पा
करें ।

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम
2. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी में)
3. पिता/पति का नाम
4. वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु)
.....
.....
5. स्थायी पता
.....
.....
6. राष्ट्रीयता
7. जन्म तिथि (अंको में)
(शब्दों में)
8. आयु (दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में) वर्ष माह दिन
(पुष्टि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)
9. लिंग पुरुष/महिला
10. जाति/वर्ग (अना./अजा/अजजा/अपिव.) जाति वर्ग
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता
12. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि व जीवित बच्चों की संख्या
13. शैक्षणिक योग्यता:-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	शिक्षा मण्डल/वि. वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता

.....

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	कार्यालय / संस्था का नाम	कार्य का प्रकार	अवधि

16. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक

17. रोजगार कार्यालय का नाम

18. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) संलग्न करें ।

19. निवास प्रमाण पत्र (छ.ग. का निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) संलग्न करें ।

20. आवेदित पद हेतु अर्हताएं संबंधी अन्य उपरोक्तानुसार समस्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वयं से सत्यापित आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावे ।

21. अनिवार्य संलग्नकों की सूची :-

1. जन्म तिथि हेतु 10 वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र

2. 12 वीं की अंकसूची ।

3. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र ।

4. मूल निवास प्रमाण पत्र ।

5. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र ।

6. पहचान पत्र / आधार कार्ड / वोटर आईडी इत्यादि ।

7. एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा व 10 रु. का डाक टिकट सहित ।

22. अन्य संलग्नों का विवरण :- 1. 2.

3. 4. 5.

6.

(आवेदक के हस्ताक्षर)

:- घोषणा पत्र :-

मैं घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पत्र के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं । मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है । इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवायें समाप्त की जा सकती है ।

स्थान -

दिनांक -

(आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर)

पूरा नाम एवं पता

मोबाईल नम्बर -

ईमेलआईडी-